



नम्बर व  
अहकाम  
हुकम की  
में जा

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खानपुर बडौदा

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

कानाराम उर्फ उम्मेदसिंह पुत्र जयनारायण मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र भैरूलाल, मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी
2. ताराचंद पुत्र जयनारायण मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी
3. गणेश पुत्र जयनारायण मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी
4. एसबीबीजे शाखा औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी
- 4 लेंड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 14/2015

वादी की ओर से वादी कानाराम की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 3.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में प्रारूपित त्रुटि होने के कारण अपना दावा वापिस लेने हेतु एवं नया दावा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। अतः वादीगण को वाद वापिस लेने की एव नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 3.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	